/

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांकः एफ. *(ISSNIP)/ (06)/CBE/04/2016* 120627-45 जयपुर, दिनांक 10-08-2017

संशोधित आदेश

उप निदेशक,

महिला एवं बाल विकास विभाग,

अजमेर, अलवर, बारां, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, जोधपुर, कोटा, राजसमंद, सिरोही, बाड़मेर, झुंझुनू, टोंक, चूरू, चित्तौडगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर एवं दौसा।

विषयः– ISSNIP परियोजना अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रो पर आयोजित किये जाने वाले सामुदायिक कार्यक्रमों हेतु क्रय किये जाने वाली सामग्री/आईटमों हेतु पत्र क्रमांक 111331–349 दिनांक 25.07.2017 जारी संशोधित दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्व बैंक पोषित ISSNIP परियोजना अन्तर्गत संचालित सामुदायिक कार्यक्रमों यथा–अन्नप्राशन एवं गोदभराई हेतु क्रय किये जाने वाली सामग्री/आईटमों के क्रय के सम्बन्ध में पत्र क्रमांक 111331–349 दिनांक 25.07.2017 को जारी गाइड–लाइन में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है।

1. संशोधित दिशा–निर्देश *आगामी "माह सितम्बर 2017"* के स्थान पर *"माह* अक्टू*बर 2017"* में आयोजित होने वाले सामुदायिक कार्यक्रमों से प्रभावी होंगे।

2. *माह* अक्टू*बर 2017* से सामुदायिक कार्यक्रमों हेतु निर्धारित सामग्री/आईटम का क्रय बाल विकास परियोजना अधिकारी के स्थान पर सम्बन्धित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा किया जायेगा।

3. इस हेतु सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी उनको **वर्तमान में आवंटित बजट का उपयोग माह *सितम्बर* 2017 तक होने वाले कार्यक्रमों के आयोजन में उपयोग में लेवें।**

4. अतः सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी सितम्बर माह में आयोजित होने वाले सामुदायिक कार्यक्रमों हेतु आवश्यक सामग्री/आईटमों का क्रय अगस्त माह में ही कर समस्त बिलों भुगतान 20 अगस्त, 2017 तक आवश्यक रूप से कर शेष बची राशि का विवरण अद्योहस्ताक्षरकर्ता को issnipraj2@gmail.com पर आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

विभाग के पत्र क्रमांक 111331–349 दिनांक 25.07.2017 की अन्य सभी शर्ते यथावत रहेंगी।

(शुचि शर्मा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. *(ISSNIP)/ (06)/CBE/04/2016* /120 646-52 जयपुर, दिनांक 10-08-2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ राजस्थान।
3. डॉ. आदेश चतुर्वेदी, स्टेट टेक्निकल स्पेशलिस्ट–न्यूट्रीशन, वर्ल्ड बैंक, राजस्थान।
4. डॉ. अरविन्द सिंघल, स्टेट कार्डिनेटर, वर्ल्ड बैंक, राजस्थान।
5. उप निदेशक, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी को भेजकर लेख है कि वो अपने ब्लॉक/परियोजना में संशोधित दिशा–निर्देशो अनुसार कार्यवाही संपादित करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

(मनोज कुमार)
संयुक्त परियोजना समन्वयक–।
ISSNIP